कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,

क्रमांकः एफ. 14(505/43)2021/प्रमुवस/एफसीए/2592 दिनांक 19/7/22

मुख्य वन संरक्षक,
बीकानेर।

विषयः–Diversion of 0.9830 ha. for construction of Existing School established since 1963 for Extension Government Secondary School at Village-Rampura Nyola, Tehsil-Suratgarh, District-Sri Ganganagar (Rajasthan)
(Proposal No. FP/RJ/Sch./148169/2021)

संदर्भः–आपका पत्रांक एफ. 12(333)सर्वे/संमुवसं/2022–23/5009 दिनांक 24.06.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर द्वारा इस कार्यालय को ऑनलाईन कुछ डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध करवायें गये हैं (पाठशाला प्रवेश प्रार्थना पत्र, राज. मा. वि. रामपुरा न्योला, सूरतगढ़ के एनेक्चर 1 से 13 तक) जिसमें स्पष्ट होता है कि स्कूल 1963 से स्थापित है।

उप वन संरक्षक, श्रीगंगानगर द्वारा इस कार्यालय को आप द्वारा सन्दर्भित पत्र से प्रेषित प्रस्ताव में पार्ट–II के पैरा 5 में फोरेस्ट ब्लॉक लिखा गया है व निरीक्षण रिपोर्ट में वाईलेशन नहीं बताया गया है, जबकि पार्ट–II के पैरा 11 में वन भूमि में वाईलेशन बताया गया है। इस प्रकार दोनों कथन विरोधाभाषी है।

विद्यालय के प्राप्त डॉक्यूमेंट्स के अनुसार विद्यालय 1963 से स्थापित/संचालित हो रहा है व कालांतर में इसे क्रमोन्नत किया गया है। यदि विद्यालय तत्समय के पजेशन की भूमि पर निर्माण करवाता है तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधान लागु नहीं होते हैं।

अतः आप मौके का व्यक्तिशः निरीक्षण कर विद्यालय के दस्तावेजों के आधार पर पूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत करें व स्पष्ट करे कि क्रमोन्नत के पूर्व वांछित भूमि विद्यालय के पजेशन में थी? विद्यालय द्वारा अतिक्रमण किया गया है अथवा नहीं आदि समस्त जानकारी प्राप्त करते हुए वस्तुस्थिति से इस कार्यालय को यथाशीघ्र सूचित करावें।

भवदीय,

(डॉ. गोबिन्द सागर भारद्वाज)
अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः एफ. 14(505/43)2021/प्रमुवस/एफसीए/2593 दिनांक 19/7/22

प्रतिलिपिः उप वन संरक्षक, श्रीगंगानगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर